MR SPEAKER. Possibly I had not made myself clear on that point I am clarifying the matter.

So far as permission given in a particular matter is concerned, no other person can revise it because the permission has been already given by the presiding officer

So far as the ruling is concerned, in that particular case that ruling is binding Another person cannot revise it. But the Speaker may not take it as a precedent for other cases but in that particular case he cannot revise the ruling because it is binding.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) On a point of order. We are discussing the White Paper on Monday, and that White Paper is based on the Report of the Dass Committee. We have received a copy of the White Paper, but we have not received a copy of the Report of the Dass Committee So, may I request y u to ask the Government to supply us a copy of the Dass Committee's Report.

SHRI JYO I IRMOY BOSU We discussed it in the Business Advisory Committee and if I remember a right, we were assured that the Dass Committee's Report would be made as all the m sufficient numbers. If it has not been done, it should be done now

MR SPEAKER We have already written to the Ministry for the Dass Committee's Report, and we are hoping to get it. As soon as we get, we will distribute it.

PROF PG MANALANKAR (Gandhinagar) By tomorrow

MR SPEAKER: On Monday,

PROF PG MAVALANKAR If we do not get the Report by tomorrow, how are we to speak on Monday?

MR SPEAKER We will try to get

PROF PG MANALANKAR : By tomorrow afternoon at least

श्री उन्नसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, बहुम के पहले दास कमेटी की रिपोर्ट ग्रगर कर मिल जाये तो हम स्रोग पढ कर उस को तैयार करेगे।

MR SPEAKER · Calling Attention. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav

SHRI JYOTIRMOY BOSU: When are you giving me permission?

MR SPEAKER : I have already called Mr Yadav
Shri Jy tirm y B su: I would like to

kn w, s that I can be Persent.

MR SPEAKER: About what?

SHRI JYOFIRMOY BOSU: About the notice under 377 that I have given.

Mr. SPEAKER: That will be tomorrow, not today

SHRI JYOTIRMOY BOSU . Why not today?

MR SPEAKER Not today.

12 36 hrs.

CALLING AITENTION TO MAITER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Apprehension of damage to North
Eastern railway line due to soil
erosion.

श्री जाने इवर प्रसाद यादव (यगिरया)
अध्यक्ष महादय, मै अविलम्बनीय लोक महत्व
के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मन्त्री
का ध्यान दिलाना हू और प्रार्थना करता हू कि
वे इस बारे म एक वक्तव्य दे

"निकट भविष्य म गगा नदी से भिम के कटाव के कारण नारायणपुर भीर वाहपुर के बीच पूर्वोत्तर रेलव की मुख्य लाइन को क्षांत की ग्राशका के समाचार।"

रेल मंत्री (प्रो० मधु बंडवते) महोदय,
मैं मदन को म्बित करना चाह्गा कि नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गगा नदी के बाए
किनारे पर हो रहे कटाव से उत्पन्न खतरे की
रेलवे को जानकारी है। कटाव और अधिक
न होने पाय उमनिए नदी मुख्या सम्बन्धी
व्यापक निर्माण-कार्यों की आवश्यकता है
और राज्य सरकार द्वारा उन निर्माण-कार्यों
का निष्पादन किया जा रहा है।

नारायणपुर रेलवे स्टेशन के निकट गंगा नदी द्वारा कियं जा रहे कटाव पर रेले काफी असे में बडी सावधानीपूर्वंप निगाह रख रही हैं। गंगा यांढ नियन्त्रण आयोग और राज्य सरकार के साथ अप्रैल 1976 के दौरान हुई एक बैठक में, रेलवं ने यह धाशका व्यक्त की थी कि यदि नदी द्वारा किये जा रहे कटाव की रोकथान न की गंगी तो रेल लाइन की

गम्भोर खतरा उत्पन्न हो जायेगा जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे के लिए यह भावश्यक हो जायेगा कि वर्तमान लाइन को वहा से हटा कर कही भन्यत बनाया जाय । उस बैठ क के दौरान, राज्य सरकार ने हमे इस बा से अवगत कराया था कि वे 1976 की वर्षा ऋतु से पहले कुछ तटबन्धी का निर्माण कार्य परा कर रहे हैं जिनसे नारायणपूर रेलवे स्टेशन तथा रेलवे लाइन का बचाव हो जायेगा । उपर्यक्त तटबन्धो का निर्माण-कार्य परा हो जाने के बावजद, 1976 की बाढ से और कटाव हाना रहा है भीर नदी किनारा काट कर रेलवे लाइन से 287 मीटर (940 फूट) की दूरी तक ग्रा पहची जबकि 1973 मे यह दूरी 1730 मीटर (5676 फट) थी। श्रक्तबर, 1976 मे श्रायी बाढ के नुरन्त बाद, राज्य मरकार तथा गगा बाढ नियन्त्रण स्रायोग के साथ हुई दूसरी बैठक मे, रेलवे ने कटाव निरोधी उपायो की तुरन्त व्यवस्था करके रेलवे लाइन भ्रीर नारायणपुर रेलवे स्टेशन को बचाने की बात पर ग्रधिक जोर दिया । रेल मन्त्रालय ने भ्रपनी यह इच्छाभी व्यक्त कर दीथी कि वह कटाव निरोधी कार्यो पर होने वाले खर्च की भ्रन्य सम्बन्धित पार्टियो, ग्रर्थात् बिहार राज्य सरकार, परिवहन मन्त्रालय ग्रीर भारतीय नेल निगम, के साथ बराबर-बराबर वहन करने के लिए तैयार है भीर राज्य मरकार मे अनरोध किया कि वह इस काम को शीध गरू कर दे ग्रीर इसे 1977 की वर्षा ऋतू से पहले-पहले पूरा कर दे। इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरो पर निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा गया।

राज्य सरकार ने 5-5-1977 को इस काम को शुरू करने और इसे बिहार राज्य निर्माण निगम को सौंपने का विनिश्चय किया। तब से ही काम शीझ समाप्त करने के लिए रेल प्रशासन राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है और इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार तथा बिहार राज्य निर्माण निगम को माल डिब्बों की सप्लाई श्रीर सामान के शीघ्र संचलन के मामले से सभी सम्भव सहायता/सहयोग दे रहा है।

नदी के किनारे का लगभग 2000 फूट भाग ऐसा है जिसे नदी से खतरा रहता है। इस श्रत्यधिक भेद भाग मे कटाव निरोधी उपाय बरतने सम्बन्धी काम का पहला चरण बिहार राज्य निर्माण निगम ने मई/जन, 1977 में गुरू किया था। यह द्याणा थी कि यह कार्य पिछले महीने के प्रन्त तक पूरा हो जायेगा । लेकिन पानी के मामान्य स्तर से **ऊपर चढने (9-7-1977 ग्री**र 19-7-1977 के बीच 11 फूट से प्रधिक) के कारण भ्रागे काम रोक दिया गया था। यदि नदी का कटाव रेलवे लाइन भ्रथवा नारायणपुर टाउन के निकट था जाता है ता ऐसी श्रापात स्थिति का मकाबला करने के लिए 2 लाख घन फूट पत्थर का स्टाक तैयार रखने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार से ध्रनरोध किया गया है कि नदी के जिस किनारे को खतरा पैदा हो गया है, उसे मुदढ बनाये रखने के लियं सभी सम्भव उपाय करे। काम पुरा होने तक राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्कबनायं रखा जायेगा।

श्री झानेइवर प्रसाद यावव . प्रध्यक्ष महोदय, मती महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेवव लाइन के ऊपर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है और इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि 1973 में भी इस बात की ग्रां एट्यान दिलाया गया था लेकिन बाढ नियतण प्रायोग ने इस प्रकार का विश्वाम दिलाया कि गगा के कटाव से बचाने के लिए हमने योजना स्वीकार की है जिससे बाढ भीर कटाव की समस्या दूर हो जाएगी। 1973—74 में मैंने ही लोक सभा में यह प्रश्न किया था। मैं मती जी से जानना चाहगा कि खगरिया से लेकर कटिहार तक गंगा तटबन्ध से होकर रेलवे लाइन गुजरती है और रेलवे लाइन की मुख्य धारा जो पहले

[श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव]

उत्तर-दक्षिण की तरफ थी, मुंघेर, भागलपुर हो कर बहती थी, वह अब भागलपुर, मुंघेर को छोड़ कर उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है, जिस के कारण खगिंग्या से ले कर कटिहार तक पिछले तीन-चार दिनों में रेलवे लाइन, आसाम रोम और तेल पाइपलाइन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सिचाई विभाग से मिल कर कोई इस प्रकार की योजना तैयार करेंगे कि गंगा की मुख्य धारा मुंघेर से सट कर चण्डी स्थान ग्रीर भागलपुर हो कर बहं, ताकि जो उत्तरी भाग कट रहा है, वह बच सके? ग्राप ने मानसी में तीन करोड़ रुपया खध्व किया ग्रीर श्रव नारायणपुर में खर्चा कर रहे है, बार-बार ग्रापको खर्चा करना पड़ रहा है—इसलिए मैं जानना चाहता हूं—क्या ग्राप केन्द्रीय सरकार के सिचाई विभाग के साथ मिल कर कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे है ताकि ग्रागे किसी प्रकार का खतरा पैदा न हों?

दूसरा प्रश्न -- क्या रेल विभाग के पास सक्षम इंजीनियर नहीं थे, जिस के कारण बिद्वार के सिंचाई विभाग के द्वारा धाप कार्य को करा रहे हैं? वहां के सिंचाई विभाग ने मानसी में जो काम किया, उसके घोटाले भीर भ्र टाचार के बारे में सब को मालम है। मानसी बचाव की योजना में उक्त मधिकारियों ने जो भ्रष्टा-चार भ्रीर गोलमाल किया, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए गोताखोर ने उस का पता लगाया है भीर पेटीशन्स कमेटी में भी इस मामले की छानबीन की है। वहां के इन्जीनियरों ने भ्रष्ट तरीके से करोड़ों रूपये की राशि कमाई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवदन करना चाहता हं---भाप के पास सक्षम इन्जीनियर है, जिन्होंने कोसी में इस प्रकार का काम किया है. वहां की रेलवे लाइन और पुल की बचाया है इसलिए क्या भाप भपने इन्जीनियरों की · लगाकर उस काम को पूरा करायेंगे? गंगा ·की दूरी भव केवल 460 फूट रह गई है।

मैं चाहूंगा कि झाप इस झोर तुरन्त ध्यान दें। झौर उन भ्रष्ट लोगों से मुक्ति दिलायें।

तीसरा प्रश्न-फलड कन्द्रोल विभाग ने इस काम का ठेका कंस्ट्रेकशन कार-पोरेशन को दिया है। बिहार के भूतपूर्व सिचाई मंत्री डा० जगन्नाथ मिन्ध्र ने ग्रपने सम्बन्धियों के खाने-पीने ग्रीर मौज करने के लिए कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन किया था ग्रीर निर्म ग उसा कंस्टेक्शन कारपोरेशन के कार्य कराया जा रहा मैं 30-6-1977 की रावि को, जब मझे कटाव के बारे मे टेलीग्राम मिला, सीधा वहां गया , कोई भी इंजीनियर वहां स्पोट पर नही था। मैं 11 बजे से 2 बजे रान्नि तक वहां रहा, केवल दो भ्रोवरसीग्रर जो कंस्ट्रेक्णन कारपोरेशन ग्रीर फ्लड़ कट्रोल के थे, वहां पर थे। कंस्टेक्शन कारपोरेशन ने उस काम के लिए पेटी-कांटेक्टर्स को नियक्त किया है। ग्राप को चाहिए था कि ग्राप सीधे फ्लड-कन्टील द्वारा काम कराते या रेलवे के इंजीनियरों से काम कराते। श्राप ने स्वयं स्वीकार किया है कि दो हजार फुट ऐसी जगह थी, जहां कटाव था। मैंने स्वयं उस दिन देखा कि एक हजार फुट में कंस्टेक्श्मन कारपोरेशन ने श्रपने ठेके-दारों से काम कराया, लेकिन उसमें भी केटिंग ग्रीर बोल्डसं 20 फट नदी की सतह तक डालना चाहिए था, वे केवल 10 फुट भीर एक फट ऊचाई तक डाला गया और 40 फुट का जो स्लोप तैयार करना चाहिए था--बोल्डर-पिचिक्त न लिए, उस में कमी रह गई हजार फुट में तो नहीं के बराबर काम हमा। जब पानी मा गया, कटाव हो गया, तो तार की जितनी जालियां वी, सत्र को नदी में बसा दिया गया ताकि नाजायज ढंग सकें। इस काम में केवल द्वाप का पैसी

मिला है, परिबह्न मंत्रालय, भारतीय
तेल निगम भीर बिहार सरकार ने पैसा
नहीं दिया है। इसलिए मंत्री महोदय
से मैं विशेष भ्राग्रह करना चाहता हूं
कि भ्राप भ्रपने विभाग के सक्षम इन्जीनियरों से इस काम को कराये। बिहार
सरकार से भ्राप सहायता लें, लेकिन
बिहार सरकार के उन भ्रष्ट इंजीनियरों
को न ले, जिन्होंने मानसी मे करोडों
रुपए का घोटाला किया है। इस प्रकार
का भ्राष्ट्रास्त भ्राप दे।

प्रो० मध् वण्डवते : मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन-चार सवाल उटाये है। सबसे पहल मैं उन को जानकारी देना चाहता हं--इस काम की मुलतः या बुनियादी जिम्मेदारी रेलवे की न होते हुए भी हम लोगों ने देखा कि जो क्टाव बढ़ता जा रहा है, उस से ज्यादा तकलीफ रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन ग्रीर नजदीक के गावों को हाने वाली है। इसलिए हमलोगों का इस सवाल की तरक देखने का रवैया यह है कि रेलवेज, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रालियम मिनिस्ट्री-क्योंकि इन्डियन श्रायल का सवाल श्राता है--प्रोर साथ ही साथ इर्रोगेशन डिपार्ट मेंट भीर बिहार गवर्नमेंट, इन सब के सहयोग से इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। हम किसी एजेंसी पर ग्रारोप नहीं लगाना चाहते है लेकिन मूलत: यह जिम्मेदारी रेलवे की नही है फिर भी हमारा जो फर्ज है, उस को हम मदा करने के लिए तैयार हैं भीर जो भी जानकारी हमारे पास है, वह मैंने पहले भपने बयान में वे दी है। मैं यह भी आप को बता दूं कि जब हम लोगों ने गंगा पलड कन्द्रोल कमीशन के साथ बात की थी, उसी वक्त उन को बताया था कि हमें ग्राशंका है कि इस से इरोजन बढ़ता रहेगा । मैं यह भी भाप को बताना चाहता हूं कि कंस्ट्रेक्शन कार्पेरिशन

की तरक से जून, 1977 में काम शुरु हुआ भीर उस ने उस वक्त वहां पर स्टोन दक्चर जिस को हिन्दी में 'स्पर्गं' (spursh) कहते है, बनाने का काम शुरु किया लेकिन जब 9 जुलाई, से 19 जुलाई, तक और उस के बाद बड़े पैमाने पर बाढ़ ग्राई, तो बाढ ग्राने के बाद सब स्पर्श भी बह कर चले गये। इसलिए रेलवे ने यह सुझाव रखा था कि आगे चल कर हम को ज्यादा एम्बैक-मेट बनाने होंगे और उस के लिए ज्यादा सहयोग देने की बात हम ने तय की लिकिन जब तक बाढ़ का पानी वहा रहेगा, काम गुरु नहीं हो सकता। उस के लिए एव दूसरा विकल्प यह भी है की ग्रामे चल कर एक डाईवर्जरी रूट बनाई जाये ग्रीर वह 11 किलोमीटर का रूट होगा। इस को बनाने में हम लोगो को कोई। तकलीक नही है लेकिन उस के लिए हमे ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन गांव के लोगो की, किसानों की लेनी पडेगी। इसलिए उन्होंने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे लोग गरीब हैं ग्रीर इस से उन की जभीन चली जाएगी ग्रीर दूसरा काम यह होगा कि हाईवे की तरक ग्रीर दूसरे देहातों की तरफ ग्रगर पानी जाएगा, तो उन को तकलीफ होगी। इसलिए जो एम्बैकमेट की बात है, उसी पर वे जोरदेना चाहते हैं ग्रीर मैं यह यकीन दिलाना चाहता हं कि जो चार एजेंसियां है, उस में रेलवे के इंजीनियर के सहयोग का जो सुझाव दिया गया है, उस के अनुसार हमाग पूरा सहयोग रहेगा और इस काम को हम पूरा करेंगे ग्रीर बाढ़ के कारण जो देहातवालों को नुकसान होता है, हम को शिश करेंगे कि वह न हो ।

हम लोगों ने यह भी कहा कि गंगा की धारा में परिवर्तन करें लेकिन गंगा के रूख के बदलने का जो काम है, बहु [प्रो० मध्य दण्डवते]

247

हम लोगों के लिए कोई भ्रासान काम नहीं होगा । इस में एक्सपर्टंस की सलाह लेनी होगी और भायोग के जो एक्सपर्ट है भीर इरीगेंशन डिपार्टमेट भीर गवर्नमेंट के साथ इस बारे मे बातचीत करेंगे भौर जो भी उन की सलाह होगी, उस के मुताबिक काम किया जाएगा।

जहां तक खर्चे का सवाल है, चारो एजेंसियों के काम करने की बात बहुत मच्छी है लेकिन इन चारो एजेसियों मे सिर्फ रेलवे ही एक ऐसी एजेमी रही है, जिस ने अपना हिमाब चकता किया है। इससे पता चलता है कि रेलवे का कारोबार वहुत ग्रच्छा रहता है ग्रीर इस वात का सबूत भी ग्राज इस सदन में मिला है। मैं यह ग्राण्वामन मदन में देना चाहता हूं कि ग्रागे भी हमारे ग्रच्छे कार्य का सबूत ग्राप को मिलता रहेगा चारो एजेन्सियों के महयाग मे इस सवाल को हल करने की हम कोशिश करेंगे यह भ्राश्वासन मैं श्राप के जरिए सदन को देना चाहता हूं।

भी ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : वाढ़ के पहले इस पर कितना खर्च हम्रा है ?

प्रो॰ मधु वंडवते : 1 2 करोड रुपए ।

12.48 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Alleged misleading information given by the Minister of Home Affairs re. Belchi Incident

MR. SPEAKER: Yesterday Sarvashri C.K. Chandrappan and B. Rachiah sought to raise a question of privilege regarding alleged misleading information given to the House on the 13th June, 1977, in the statement made by the Minister of Home attendent made by the windister of Profile Affairs on a calling attention matter about atrocities on Harijans at Belchi village in Bhar. Some members stated that the Deputy Sepaker had given his consent to raise this matter under rule 222.

I then observed that the records did not show that the Deputy Speaker has given his permission under rule 222. In fact, what the Deputy Speaker had said in the House on the 16th July, 1977, was:

Privilege

"In accordance with the practice of the House in such matters, I have sent copies of the notices to the Minister of Home Affairs for his factual comments. I will take a decision in the matter after I receive a reply from the Home Minister."

The observations of the Deputy-Speaker were communicated in writing to Sarvashrı C K. Chandrappan, K.A. Rajan, B.P. Kadam and Shrimati Parvathi Krishhnan on the 16th July, 1977, itself.

The Lok Sabha Bulletin-Part I dated the 16th July, 1977, also contains an entry to this effect on this matter.

However, I observed yesterday that I would consult the Deptuy-Speaker whether he had given his permission to his matter being raised under rule 222 as claimed by certain Members. The Deputy-Sepaker has informed me in categorical terms that he had not given permission to any Member under rule 222 to raise this matter in the House.

It is thus clear that the contenuon of these Members that the Deputy-Speaker had given them permission to raise this matter under rule 422 is not correct. I have already disallowed this matter as stated earlier on the ground that the question relating to motive for the occurrence is sub-judice.

SHRI VASANT SATHE (Akola) On a point of order. You have been pleased to observe...

श्री इयाम सुन्दर दास (मीतामढी) : भ्रध्यक्ष महोदय, ग्रापने गृह मंत्री खिलाफ प्रिवंलेज मोशन को ग्रस्वीकृत कर दिया है । ग्रब सवाल यह कि माननीय सदस्यों ने जो गलत ग्रारोप लगाया है श्रीर हाउस को मिसलीड किया है, क्या उनके विरुद्ध प्रिवलेज का मोशन भ्रा सकता है या नहीं ?

MR. SPEAKER: There is no point of order. Please sit down. Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE: You been pleased to observe yesterday and just now that you have not given per-mission because the matter is no justice. I would only like to know as a matter of